न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल** (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 541 सन 2018

अनवान :—

1. रामी पत्नी मनसुख (फोत)
1. अमरसिह पुत्र मनसुख जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
2. विधा पुत्री मनसुख जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. सन्तो पुत्री मनसुख जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. बृजलाल पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. हंसराज पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. सुरजीत पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. महेन्द्र पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. रामसिह पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
7. कमला पत्नी अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हरीसिह सिहाग अधिवक्ता वादीगण
श्री संजय जोशी अधिवक्ता प्रति. 1 ता 7
पैरोकार राज

निर्णय दिनांक :— 20/08/2024

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 की 102 बीघा 9 बिश्वा भूमि किशना पुत्र मुलाराम जो प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता है की है तथा जीवन वल्द हीरा की बहिस्सा बराकर आधि आधि यानी प्रत्येक 51.बीधा 4—1/2 बिश्वा भूमि थी जिसमें से किशना ने अपने हिस्सा की भूमि में से 23.09 बीधा भूमि वादिया को दिनांक 26.11.1959 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान कर दिया तथा मुताबिक खसरा न0 239 के उत्तरी, पश्चिम की तरफ वादीया को इस खरीदशुद्वा भूमि का कब्जा दे दिया गया और तब से लेकर लगातार आज तक वादिया के कब्जा काश्त में चला आ रहा है इसके पश्चात सम्वत 2016 की पैमाईश में बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिका खसरा ने हाल खसरो में पैमुद किया गया जिसमें साबिका खसरा न0 239 का हाल खसरा न0 440 बना दिया और वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता किशना ने शेष बची भूमि में से 1.012हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 7 कमलादेवी को बेचान कर दिया जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है अब बिना किसी आधार के व बिना वादीया की सहमति के अमाऐ माल द्वारा अपनी मनमर्जी से कतई गलत तौर से खसरा न0 440 को [illegible] में डालकर वादिया के नाम से खसरा न0 489/440 दर्ज कर दिये जो [illegible] (मनसुख वादीगण) के कब्जा काश्त में है तथा वादीया की [illegible] भूमि के खसरा न0 484/440 बना कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज [illegible] दिये जो कतई गल[illegible] किये गये है।

खसरा न0 484/440 में 6.5640हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हो गयी जबकि इसमें से 5.9310हैक्ट भूमि पर तो वादिया बैयनामा के समय से काबिज है यह

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि वादिया के नाम से ही दर्ज की जानी चाहिये तथा शेष बची भूमि उतरी पूर्व तरफ की है जिसे पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 काबिज है उनके नाम दर्ज जानी चाहिये थी तथा वादिया की इस भूमि की ऐवज मेंप्रतिवीद संख्या 1 ता 6 के नाम से 5.9310हैक्ट खसरा न0 485/440 की दर्ज की जानी चाहिये जो वर्तमान मे इसके ही कब्जा काश्त में है खसरा न0 485/440 में से ढण्ढेला माईनर नहर बनी है जिसका मुआवजा भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने प्राप्त किया है जो अपने कब्जा काश्त के कारण लिया है लेकिन जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्य 8 के नाम दर्ज है लेकिन प्रतिवादी संख्या 8 वर्तमान में खसरा न0 489/440 में काबिज है जो उसके ही नाम दर्ज की जानी चाहिये।

वादीया ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की वो उक्त भूमि को काब्जा काश्त के मुताबिक नक्शा व जमाबन्दी में दुरूस्त करवा कर अपने अपने नाम दर्ज करवा लेवे तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है

राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज के कारण वादीय के काश्तकारी हको का हनन होता है तथा कब्जा काश्त में नाहक दख्लयाबी होगी

अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला के खसरा न0 484/440 की 5.9310हैक्ट उतरी पश्चिम की भूमि की बादीया खातेदार काश्तकार है तथा राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिबादी संख्या 1 ता 6 के नाम कलमजन कर वादिया के नाम दर्ज की जावे व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम खसरा न0 484/440 की 0.6330हैक्ट व खसरा न0 485/440 की 5.9310हैक्ट भूमि जो वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 8 (मनसुख) वारिसान (वादीगण) के नाम से दर्ज है को कलमजन कर प्रतिबादी संख्या 1 ता 6 व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे इसकी ऐवज में अब वादीया के नाम दर्ज खसरा न0 489/440 की 5.9310हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 8 मसुख के नाम दर्ज की जावे शेष भूमि यथावत रखी जावे इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश फरमावे।

वादीया का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्य 7 स्वय उपस्थित एव प्रतिवादी संख्या 8 मनसुख (फोत) वारिसान वादीगण स्वय उपस्थित एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम इस आश्य का पेश किया की

वादिया का विनाय दावा हासिल नही है दावा मे विनाय दावा दर्ज भी नही है इसलिये दावा चलने योग्य नही है हीरा की रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 21 में 102.09 बीधा भूमि नोतौड करदा थी हीरा की मृत्यू के बाद मुला, जीवण के नाम व मुला की मृत्यू के बाद खाता संख्या 21/88 के खसरा न0 238 की 102.09 बीधा भूमि किशना पुत्र मुला व जीवन पुत्र हीरा के नाम बहिब दर्ज हुई वाद भूमि पैतृक भूमि है तथा पैतृक भूमि में पुत्रों व पुत्रीयों का जन्म से हक व हिस्सा होता है और प्रतिवादीगण मुतवफी किशना के साथ बहिब के हकदार व खातेदार काश्तकार है वाद भूमि में पत्येक 1/7 .1/7 हिस्सा के मगर किशनाराम ने कर्ता खानदान होने व प्रार्थी प्रतिवादीगण की नासमझी व नाबालिग होने के कारण अपने अकेले के नाम दर्ज करवा ली

किशना को पैतृक सम्पति में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक की भूमि बेय करने का कोई हक नही था बैयनामा दिनांक 26.11.1959 बहक वादिया व बैयनामा दिनांक 26.07.2004 बहक प्रतिवादी संख्या 7 बिना अधिकार कराया गया है जो मुकाबले हक हकुक प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 शुन्य है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता [illegible] प्रतिवादी संख्या 8 के पिता जीवणराम पुत्र हीरा की रोही मौजा ढण्ढेला में खसरा [illegible] में 102.09 बीधा मुश्तरका बहिब भूमि थी किशना उक्त मुश्तरका भू[illegible] को बैया किया तथा कथित शुन्य बैयनामा करवाया जाकर [illegible] प्रतिवादी संख्या 8 मनसुख वारिसान वादीगण चतुर व चालाक व्यक्ति है ने बेयनामा [illegible] आरो पासे दर्ज करवा लिया और किशना से अपने हक व हिस्सा से ज्यादा हिस्सा का बैयनामा करवाया है मुश्तरका खाते की भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

प्रत्येक हिस्सेदार का हर इंच भूमि पर कब्जा होता है मुश्तरका भूमि में हिस्सेदार अपना हिस्सा बेय कर सकता है विशेष भू0 भाग बैय नही कर सकता है किशना ने विशेष भाग का बेयनामा नही कराया था न करवा सकता था पटवारी हल्का द्वारा खसरा न0 238 का नक्शा बना कर दिया था जिसमें रंग नही भरा गया था क्योकि असल नक्शा में रग भरा हुआ नही है नक्शे में वादिया व उसके पति मनसुख (वादीगण) ने किसी अन्य व्यक्ति से रंग भवाकर कुटरचित दस्तावेज तेयार कर विशेष भू भाग का बैयनामा करवाया हे जो नियम विरूद्व है इसलिये वादीया विशेष भू0 भाग का घोषणात्मक वाद लाने का अधिकारी नही है।

वादिया ने भु0प्रबन्ध विभाग द्वारा नियमानुसार की गई पैमाईश के वक्त व बाद में भूप्रबन्ध विभाग द्वारा जारी किये गये रिकार्ड बाबत इतने सालों में कभी कोई ऐतराज नही किया व स्थिति को स्वीकार करती आ रही है अतः उनके खिलाफ मसला विबन्ध आरिज है

मुश्तरका खाते की भूमि में वादिया द्वारा खरीद की गई भूमि अजनबी खरीदार काश्तकार होने की सुरत में खाता विभाजन करा कर ही कब्जा काश्त प्राप्त कर सकती थी जो इतने सालों बाद बिना खाता विभाजन की इस्तुआ के खाश हिस्से बाबत इस्तकरार हक का दावा काबिले चलने के है वाद वादिया विधि विरूद्व होने के कारण काबिल खारिज के है

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 न्यायालय से घोषणा कराने के अधिकारी है कि वाद पैतृक कृषि भूमि है और इसमें प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का जन्म से हक है ओर प्रत्येक 1/7 ,1/7 हिस्सा बहिब के खातेदार काश्तकार है जिसे प्रार्थीगण प्रतिवादीगण जरिये काउन्टर क्लेम अपना हिस्सा घोषित कराने के मजाज है और बेयनामा दिनांक 26.11.1959 , 26.07. 2004 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 मुकाबले हक हकुक बेअसर है एव शुन्य है।

अतः काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर रोही मौजा ढण्ढेला के खाता संख्या 18/59 के खसरा न0 484/400 की 6.5640हैक्ट व खाता संख्या 222/205 के खसरा न0 489/440 की 5.9310हैक्ट कुल 12.4950हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की पैतृक कृषि भूमि इसमें इनका जन्म से हक व हिस्सा और प्रत्येक का 1/7 ,1/7 हिस्सा 1.7850हैक्ट वादीया की 1.7850हैक्ट भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा जमाबन्दी दुरूस्त कर खाता संख्या 222/205 की 5.9310हैक्ट भूमि 1.7850हैक्ट भूमि वादिया के नाम व शेष भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के नाम व खाता संख्या 19/59 में प्रतिवादी संख्या 7 का नाम कलमजन कर 6.5640हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज की जावे जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम शामिल मिसल किया

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के जबाब काउन्टर क्लेम का जबाब पेश किया की वाद भूमि हिरा की नोताड की हुई नही है बल्की यह भूमि तो किशना व जीवण की पैदा कर्दा भूमि है यह भमि मूला के नाम से भी दर्ज नही रही है परिवार की कुर्सीनामा भूमि के अधिकारी या नौतोड करने का कोई उल्लेख नही होता है ना ही बेयनामा के समय प्रतिवादीगण का जन्म हुआ था किशनाराम के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कोई हक हिस्सा नही हे बेयनामा सन 1959 का हे जो आज तक वैध है व स्वीकार करते आ रहे है प्रतिवादीगण ने खसरा न0 440 में गलत रूप से बटा नम्बर डाल कर वादीया की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाया हे तथ्यो को छुपाने के लिये काउन्टर क्लेम पेश किया गया है बेयनामा के अनुसार भूमि वादीया के कब्जा काश्त में चली आना स्वीकार किया जाकर ही ढण्ढेला माईनर का मुआवजा प्राप्त किया है प्रतिवादीगण को काउन्टर क्लेम पेश करने का अधिकार नही है ना ही भूमि पैतृक भूमि है ना ही बेयनामा के समय प्रतिवादीगण का जन्म हुआ था जो प्रवेश रजिस्टर में जन्म तिथि अंकित है मतदाता सूचि में भी जन्म तिथि अंकित है प्रतिवादीगण का जन्म [illegible] हुआ है इसलिये काउन्टर क्लेम के जरिये जन्म से पहले के बेयनामा के स[illegible] कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है काउन्टर क्लेम खारिज [illegible] डिक्री फरमाया जावे।

वादीया के वाद एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के जबाब काउन्टर क्लेम एव जबाब काउन्टर क्लेम के आधार पर निम्नप्रकार से तनकीह कायम की कई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1. आया कि क्या रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 की 102 बीधा 9 बिश्वा भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के पिता किशना वल्द मूलाराम व जीवन पुत्र हीरा की बहिब नोतोड़ की हुई भूमि थी ? ओर उसमें से वादीया ने किशना से 23 बीधा 9 बिश्वा भूमि इसी खसरा के उत्तरी पश्चिमी की तरफ की दिनांक 26.11.1959 को जरीये रजिस्ट्रड बेयनामा खरीद कर ली थी और वह इस भूमि की काबिज खातेदार काश्तकार है और सम्वत 2016 की पैमाईस मे गत खसरा न0 238 के नम खसरा 440 बने है।?

वादी

2. क्या अब अमलाऐ माल द्वारा बिना वादीया को सुने व बिना सहमति के तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हाल खसरा न0 440 के नाम व जामबन्दी में परिर्वतन कर वादीया की उक्त खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि खसरा न0 484/440 पैमुद कर यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम गलत दर्ज कर दी जिसकी वादीया अपने काश्तकारी हकूक की धोषणा करवाने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की खसरा न0 485/440 की 5.9310हैक भूमि है ?

वादी

3. क्या वादीया खसरा न0 484/440 की उतरी पश्चिम की तरफ 5.9310हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा इसी खसरा की शेष बची 0.6330हैक व खसरा न0 485/440 की 5.9310हैक भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 7 की होना व खसरा न0 489/440 की 5.9310हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 8 मनसुख के नाम से दर्ज की जावे।?

वादी

4. क्या वादीया खसरा न0 484/440 की भूमि के सम्बध में प्रतिवादीगण न0 1 से 6 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है? वादी

5. क्या प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विधिक प्रावधानों की पालनानुसार नही पेश किया गया जो विधिनुसार वर्जीत है और इसी आधार पर काबिल खारीजी के है।?

वादी

6. क्या वाद भूमि पैतृक कृषि है और उसमें प्रतिवादीगण न0 1 से 6 उनके पिता किशना के जीवनकाल में बहिब प्रत्येक 1/7 हिस्सा के हक स्सिा था।?

प्रतिवादी

7. क्या किशना द्वारा पैतृक कृषी भूमि होने के कारण अपने हक व हिस्सा की भूमि से अधिक भूमि के करवायें गये बेयनामें दिनांक 26.11.1959 व दिनांक 26.7.2004 जो वादीया व प्रतिवादी संख्या 7 के हक में है जो शुन्य है। प्रतिवादी

8. क्या अमलायें माल द्वारा भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये नये खसरा नम्बर 440 के नये बटा नम्बर डाल कर जमाबन्दी व नक्शा में तरमीम किया गया है वह नियमानुसार है। प्रतिवादी

9. क्या प्रतिवादीगण जरीये अपने काउन्टर क्लेम के अनुतोष की मद न0 क, ख, ग, के अनुसार घोषणा करवाकर अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।? प्रतिवादी

10.अन्य दादरसी

तनकीयात कायम की जाकर उभयपक्षों से साक्ष्य लिये गये साक्ष्यवादी में वादी ने रामी पत्नी मनसुख, हरदेवाराम पुत्र निराणाराम के ब्यान करवाये गये साक्ष्य प्रतिवादी में केवल दस्तावेजात पेश किये गये थे

उभयपक्षों के साक्ष्य के पश्चात अंतिम बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद एव जबाब काउन्टर क्लेम में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 की 102 बीधा 9 बिश्वा भूमि किशना पुत्र मुलाराम जो प्रतिवादी संख्या 1 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

6 के पिता है की है तथा जीवन वल्द हीरा की बहिस्सा बराकर आधि आधि यानी प्रत्येक 51.बीधा 4–1/2 बिश्वा भूमि थी जिसमें से किशना ने अपने हिस्सा की भूमि में से 23.09 बीधा भूमि वादिया को दिनांक 26.11.1959 को जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा बेचान कर दिया तथा मुताबिक खसरा न0 239 के उत्तरी, पश्चिम की तरफ वादीया को इस खरीदशुद्रा भूमि का कब्जा दे दिया गया और तब से लेकर लगातार आज तक वादिया के कब्जा काश्त में चला आ रहा है इसके पश्चात सम्वत 2016 की पैमाईश में बन्दोबस्त विभाग द्वारा साबिका खसरा ने हाल खसरो में पैमुद किया गया जिसमें साबिका खसरा न0 239 का हाल खसरा न0 440 बना दिया और वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता किशना ने शेष बची भूमि में से 1.012हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 7 कमलादेवी को बेचान कर दिया जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है अब बिना किसी आधार के व बिना वादीया की सहमति के अमाऐ माल द्वारा अपनी मनमर्जी से कतई गलत तौर से खसरा न0 440 को बटा नम्बरों में डालकर वादिया के नाम से खसरा न0 489/440 दर्ज कर दिये जो प्रतिवादी संख्या 8 (मनसुख वादीगण) के कब्जा काश्त में है तथा वादीया की खरीदशुद्रा कब्जा काश्त की भूमि के खसरा न0 484/440 बना कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज कर दिये जो कतई गलत दर्ज किये गये है। खसरा न0 484/440 में 6.5640हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हो गयी जबकि इसमें से 5.9310हैक भूमि पर तो वादिया बैयनामा के समय से काबिज है यह भूमि वादिया के नाम से ही दर्ज की जानी चाहिये तथा शेष बची भूमि उत्तरी पूर्व तरफ की है जिसे पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 काबिज है उनके नाम दर्ज जानी चाहिये थी तथा वादिया की इस भूमि की ऐवज मेंप्रतिवीद संख्या 1 ता 6 के नाम से 5.9310हैक खसरा न0 485/440 की दर्ज की जानी चाहिये जो वर्तमान मे इसके ही कब्जा काश्त में है खसरा न0 485/440 में से ढण्ढेला माईनर नहर बनी है जिसका मुआवजा भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने प्राप्त किया है जो अपने कब्जा काश्त के कारण लिया है लेकिन जो राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्य 8 के नाम दर्ज है लेकिन प्रतिवादी संख्या 8 वर्तमान में खसरा न0 489/440 में काबिज है उसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने की अधिकारी है

वाद भूमि हिरा की नोताड की हुई नही है बल्की यह भूमि तो किशना व जीवण की पैदा कर्दा भूमि है यह भमि मूला के नाम से भी दर्ज नही रही है परिवार की कुर्सीनामा भूमि के अधिकारी या नौतोड़ करने का कोई उल्लेख नही होता है ना ही बेयनामा के समय प्रतिवादीगण का जन्म हुआ था किशनाराम के जीवनकाल में प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का कोई हक हिस्सा नही है बेयनामा सन 1959 का हे जो आज तक वैध है व स्वीकार करते आ रहे हैं प्रतिवादीगण ने खसरा न0 440 में गलत रूप से बटा नम्बर डाल कर वादीया की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाया हे तथ्यो को छुपाने के लिये काउन्टर क्लेम पेश किया गया है बेयनामा के अनुसार भूमि वादीया के कब्जा काश्त में चली आना स्वीकार किया जाकर ही ढण्ढेला माईनर का मुआवजा प्राप्त किया है प्रतिवादीगण को काउन्टर क्लेम पेश करने का अधिकार नही है ना ही भूमि पैतृक भूमि है ना ही बेयनामा के समय प्रतिवादीगण का जन्म हुआ था जो प्रवेश रजिस्टर में जन्म तिथि अंकित है मतदाता सूचि में भी जन्म तिथि अंकित है प्रतिवादीगण का जन्म ही बैयनामा के बाद हुआ है इसलिये काउन्टर क्लेम के जरिये जन्म से पहले के बेयनामा के सम्बध में कोई अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है काउन्टर क्लेम खारिज फरमाया जाकर वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के अधिवक्ता ने लिखित में बहस पेश की गई जो सक्षेप में इस प्रकार से है

रोही मौजा ढण्ढेला के [illegible] 102.09 बीधा भूमि किसना वल्द मुलाराम व जीवन वल्द हीरा की बहिस [illegible] 51 [illegible] बीधा प्रत्येक के हिस्से की भूमि थी उक्त भूमि हीरा की रोही मौजा [illegible] में 102 बीधा 09 बिश्वा भूमि नोतोड कि थी जो परिवारिक कुर्सीनामा सम्वत 2011 तहसील नोहर में मय जमीन विवरण संलग्न पत्रावली है हीरा की मृत्यू के बाद मूला व जीवण के नाम व मुला की मृत्यू के बाद खाता संख्या 21/88 के खसरा न0 238 की 102.09 बीधा भूमि किसना पुत्र मूला व जीवन

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

पुत्र हीरा के नाम बहिब दर्ज हुई है प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता किसनाराम के हिस्से की 51.05 बीधा में से 1/9 हिस्सा भूमि यानि लगभग 6.00 बीधा से कम भूमि पिता किसनाराम के हिस्से में आती थी लेकिन उन्होने हिन्दु कर्ता खानदान होन की वजह से अपने नाम दर्ज करवा ली कर कुल हिस्सा में से अपने हक हिस्सा से अधिक 23.09 बीधा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेयनामा दिनांक 26.11.1959 को वादीया (रामी) को बेचान कर दी जो कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के हक हकूक के अनुसार उक्त बेयनामा शुन्य घोषित किया जावे काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जावे

प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के पिता किसना ने दिनांक 26.11.1959 को बैयनामा रामी पत्नी मनसुख के नाम से करवाया उक्त दिनांक को प्रतिवादीगण विधिक वारिसान के रूप में मौजुद थे उनका जन्म हो चुका था प्रतिवादीगण के जन्म प्रमाण पत्र डीडब्ल्यू- 1 से डीडब्ल्यू 6 रिकार्ड पर है और साबित है उक्त पैतृ सम्पति में वे विक्रेता के साथ बहिब के हकदार थे इस प्रकार उक्त बेचान प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हकों के प्रति शुन्य है किसना ने उक्त बैयनामा विशेष हिस्से का करवाया गया चुकि साझा खाता की भूमि और विक्रेता के विधिक वारिसान भी उनके साथ बहिब के हकदार थे उनके द्वारा हक से ज्यादा व विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा सकता था तथा वादीया ने जिस आधार पर दावा पेश किया गया है सम्वत 2016 कि पैमाईश में बन्दोबस्त विभाग द्वारा इस भूमि केनये खसरा न0 440 बना दिये यह भूमि वादिया के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दी गई और अब बिना किसी आधार पर बिना वादीया की सहमति से अमला माल ने मनमर्जी से 440 बटा नम्बरों में डाल दिया और वादिया के नाम 489/440 दर्ज कर दिये जो मनसुख के कब्जा में है व वादीया की खरीदशुद्वा भूमि कब्जा काश्त की भूमि खसरा न0 484/440 बना कर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज कर दिये गये है वादीया के अनुसार इस परिवर्तन का कोई रिकार्ड भु- राजस्व शाखा में उपलब्ध नही है लेकिन वादीया ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया ना ही ऐसा कोई साक्ष्य रिकार्ड पर उपलब्ध है जिससे यह साबित होता हो कि वादीया द्वारा अमला माल से कोई जानकारी चाही गई हो बिना किसी आधार के यह वाद पेश किया है जो काउन्टर क्लेम स्वीकार कर खारिज फरमाया जावे

उक्त वर्णित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 की पैतृक सम्पति है तो विक्रेता किसानाराम द्वारा रामी को जो भूमि बेचान की गई वह उसके हक से ज्यादा थी जो प्रतिवादीगण के हकुक के प्रति शुन्य है तथा बेचान की गई भूमि के बेयनामा में विशेष हिस्से का भी अंकन है सयुक्त खाते की भूमि में से विशेष हिस्से का बेचान नही किया जा सकता है

अपनी लिखित बहस के समर्थन में न्यायियक दृष्टान्त अंकित /पेश किये गये

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है ।

वादी ने अपने वाद के समर्थन में वादी ने तनकी के समर्थन में नकल जमाबंदी वाके रोही मौजा ढण्ढेला बारानी सम्वत 2073-76 ईएक्सपी -1 व 2, नकल नक्शा पटवारी ढण्ढेला बारानी ईएक्सपी-3, चित्रप्रति नजरी नक्शा व नकल जमाबंदी वाके रोही मौजा ढण्ढेला बारानी स0 2057 ईएक्सपी-4 व 5, चिप्रति प्रार्थना पत्र दिनांक 26.11.59 व नकल फर्द खाता दिनांक 24.11.59, नकल पर्चा खतौनी सम्वत 2019 ईएक्सपी-6, रोही मौजा ढण्ढेला व नकल नामान्तरण स0 23 ईएक्सपी-7, नकल खसरा गिरदावरी स0 2012 ता 16 ईएक्सपी - 8, नकल जमाबंदी खतौनी ढण्ढेला बारानी स0 2049 ईएक्सपी -9, नकल मिलान खसरा ढण्ढेला ईएक्सपी-10, नकल पर्चाखतौनी स0 2016 ढण्ढेला ईएक्सपी-11, नकल खसरा [illegible] 16 ईएक्सपी-12, नकल मिसल बंदोबस्त स0 2001 रोही मौजा ढण्ढेला [illegible] 13, चित्र प्रतिलिपि खतौनी ढण्ढेला बारानी, नकल निर्वाचन [illegible] निर्वाचन नामावली वर्ष 2018 ईएक्सपी 15, असल बैयनामा [illegible] 26.11.59 [illegible] वादीया ईएक्सपी 16, नकल नक्शा रोही मौजा ढण्ढेला 24.11.68, असल प्रार्थना पत्र [illegible] दिनांक 26.11.59 ईएक्सपी-17 पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सीकर

प्रतिवादी ने अपने काउन्टर क्लेम के समर्थन में नकल खतौनी ग्राम विरकाली सम्वत 2001 बहक किशना, नकल खसरा न0 238 ग्राम ढण्ढेला , बेयनामा की प्रति, त्रप्रति आधार कार्ड प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 पेश किये

<u>तनकी न0 1– आया कि क्या रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 की 102 बीधा 9 बिश्वा भूमि प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 6 के पिता किशना वल्द मूलाराम व जीवन पुत्र हीरा की बहिब नोतोड की हुई भूमि थी ? और उसमें से वादीया ने किशना से 23 बीधा 9 बिश्वा भूमि इसी खसरा के उत्तरी पश्चिमी की तरफ की दिनांक 26.11.1959 को जरीये रजिस्ट्रड बैयनामा खरीद कर ली थी और वह इस भूमि की काबिज खातेदार काश्तकार है और सम्वत 2016 की पैमाईस मे गत खसरा न0 238 के नम खसरा 440 बने है।? वादी</u>

तनकी न 1 को साबित करने का भार वादी पर था वादी का कथन है वाद भूमि रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 की 102 बीधा किशना , जीवन वल्द हीरा की नोतोड करदा भूमि थी किन्तु प्रस्तुत कुर्सीनामा सम्वत 2001 के अनुसार वाद भूमि पूर्व में किशना ,मूला की पूर्वज हिरा के द्वारा काश्त की जाती नही है किशना व मूला के पूर्वज हीरा एव उसके पुत्र लेखू के लावल्द फोत हो जाने एव स्वय मूला के देहान्त हो जाने के बाद ही वाद भूमि किशना वल्द मूलाराम व जीवन वल्द हीरा के द्वारा काश्त की गई थी जिसके कारण उनका नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया था।

इसप्रकार प्रस्तुत कुर्सीनामा के अनुसार वाद भूमि किशना वल्द मूला ,जीवन वल्द हीरा के द्वारा नोतोड करदा भूमि नही है विरास्तन से प्राप्त भूमि थी जो उनके पूर्वजों के देहान्त होने पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई थी।

रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 की 102 बीधा 09 बिस्वा भूमि किसना वल्द मूलाराम , जीवन वल्द हीरा के नाम बहिब दर्ज थी अर्थात प्रत्येक 51.05 बीधा भूमि के हकदार थे किशना वल्द मूलाराम ने अपने हक हिस्साक ी 51.05 बीधा भूमि में से 23.09 बीधा भूमि का बेचान वादीया को किया गया था जो बेयनामा से साबित ळें

वाद भूमि रोही मौजा ढण्ढेला के खसरा न0 238 की 102.09 बीधा भूमि मुस्तरका तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी जिसमें से किशना वल्द मुला अपने हक हिस्सा में से हिस्से का तो बेचान कर सकता था किन्तु किसी विशेष हिस्से का बेचान करने का अधिकारी नही था यदि बेयनामा में किसी विशेष हिस्से का अंकन भी कर दिया जाता है तो उसके आधार पर मुश्तरका भूमि में किसी विशेष भू–भाग पर कोई अधिकार प्राप्त नही होता है क्योकि मुश्तरका भूमि मे प्रत्येक मुश्तरका काश्तकार का प्रत्येक इंच पर हक अधिकार होता है इसलिये मुस्तरका खाते की भूमि में किसी विशेष हिस्से का बेचान विधिमान्य नही है ना ही ऐसे बैयनामा से मुश्तरका खाते की भूमि मे विशेष भू0 भाग पर अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वादीया ने वाद भूमि भूमि दिनांक 26.11.1959 को खरीद की गई थी खरीद के समय भूमि का कब्जा भी प्राप्त करना अंकित किया गया है खरीद के समय भूमि प्राप्त होने के इतने वर्षो के बाद वाद पेश किया गया है राजस्व रिकार्ड में उसके कब्जा काश्त की भूमि अन्य काश्तकार के नाम दर्ज है जो स्वीकार योग्य नही है।

रोही मौजा ढण्ढेला के साबिका खसरा न0 238 के पैमाईश के दोरान हाल खसरा न0 440 में परिर्वतन पैमुद कि[illegible] उभयपक्षों को ऐतराज नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार यह साबित [illegible] चु[illegible] है कि वाद भूमि पैतृक सम्पति है तथा बैयनामा दिनांक 26.11.1959 [illegible] बीधा भूमि का किया गया था के आधार पर मुश्तरका भूमि [illegible] से किसी विशेष भू0 भाग को पाने का अधिकारी नही है तथा खसरा न0 238 से हाल खसरा न0 440 ब[illegible] है के सम्बध में ऐतराज नही है

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः तनकी न0 1 साबिका खसरा न0 हाल खसरा परिर्वतन तक वादी के पक्ष में तय की जाती है शेष वादी साक्ष्य सबुतों के आधार पर वादी के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 2 – क्या अब अमलाऐ माल द्वारा बिना वादीया को सुने व बिना सहमति के तथा बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के हाल खसरा न0 440 के नाम व जामबन्दी में परिर्वतन कर वादीया की उक्त खरीदशुद्वा कब्जा काश्त की भूमि खसरा न0 484/440 पैमुद कर यह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम गलत दर्ज कर दी जिसकी वादीया अपने काश्तकारी हकूक की धोषणा करवाने की अधिकारी है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 की खसरा न0 485/440 की 5.9310हैक भूमि है ? वादी

तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादी पर था वादी का कथन है कि वादी को सुनवाइ का अवसर दिये बिना एव बिना सक्षम अधिकारी के हाल खसरा न0 440 को परिर्वतन कर 484/440 में पैमुद कर गलत तौर से प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज कर दिया जिसे वादीया अपने नाम दर्ज करवा पाने की अधिकारी है वादी ने अपने कथनों की ताईद में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया कि कब खसरा न0 440 के खसरा न0 484/440 बनाये गये है तथा खसरा न0 440 ने वादीया का नाम कलमजन किया गया हे मात्र कथन किया गया है ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे साबित हो की वाद भूमि पर उसका कब्जा किस खसरा नम्बर की भूमि पर है तथा पत्रावली में उपलब्ध खाता विभाजन नामान्तकरण के अनुसार वादी एव प्रतिवादीगण मुश्तरका तौर पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे जिसका खाता विभाजन होने पर खसरा न0 440 को ही तीन भागों में बाटा गया है किसी प्रकार के खसरा परिर्वतन का अंकन नही है।

वाद भूमि को यदि साबिका खसरा से अन्य खसरों से पैमुद या परिर्वतन भी किया जाता है तो कब्जा काश्त के आधार पर ही बटा नम्बर का अंकन किया जाता है ना की अन्य काश्तकार के कब्जा की भूमि का किसी दुसरे काश्तकार के नाम की जाती है खसरा परिर्वतन में मात्र खसरा नम्बर का ही परिर्वतन होता है भौतिक तौर से कोई परिर्वतन नही होता है।

वादीया का दायित्व था कि वह अपने हक हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का पटवारी हल्का से मौका निरीक्षण करवाया जाकर एव राजस्व रिकार्ड एवं मौका की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता था जिससे स्थिति स्पष्ट हो सकती थी।

वादी ने ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया की खसरा न0 440 से खसरा न0 484/440 पैमुद करने पर वादीया के कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के नाम दर्ज हो गई हो मात्र वादीया का कथन है कोई साक्ष्य /दस्तावेजात प्रस्तुत नही किये गये हे मात्र कथनों के आधार पर कोई अनुतोष वादीया प्राप्त करने की अधिकारी नही है
अतः तनकी न0 2 साक्ष्य सबुतों के आधार पर वादीया के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 3 क्या वादीया खसरा न0 484/440 की उतरी पश्चिम की तरफ 5.9310हैक भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा इसी खसरा की शेष बची 0.6330हैक व खसरा न0 485/440 की 5.9310हैक भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 से 6 व 7 की होना व खसरा न0 489/440 की 5.9310हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 8 मनसुख के नाम से दर्ज की जावे।?

वादी

तनकी न0 3 को साबित करने का भार वादीया पर था वादीया का कथन है वादी वर्तमान में 484/440 उतरी पश्चिम की तरफ 5.9310हैक भूमि पर काबिज है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे वादी ने अपने कथनों ताईद में ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया जिससे उसे रोही मौजा दण्डे[illegible] का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे मात्र कथनों के आधार पर अन्य [illegible] के कब्जा काश्त की भूमि का वादीया के नाम दर्ज नही किया जा सकता [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

वाद भूमि में राजस्व रिकार्ड में किसी आदेश से ही परिर्वतन किया जा सकता है यदि किसी प्रकार का खसरा परिर्वतन या वादीया के हक हिस्सा की भूमि अन्य काश्तकार के नाम दर्ज की गई थी तो उस आदेश की प्रति प्रस्तुत करना वादीया का दायित्व था

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीया ने यह हस्तगत वाद पेश किया गया है वादीया का दायित्व है कि वह अपने वाद का साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित करे किन्तु वादीया ने ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश नही किया जिससे वादीया के हक कब्जा काश्त की भूमि को अन्य के नाम दर्ज किया गया हो मात्र वादीया का कथन है।

अतः तनकी न0 3 वादीया के द्वारा सबित नही करने के कारण वादीया के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 4 क्या वादीया खसरा न0 484/440 की भूमि के सम्बध में प्रतिवादीगण न0 1 से 6 के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारीणी है? वादी

तनकी को साबित करने का भार भी वादीया पर था उपरोक्त तनकीयात में विवेचन किया जा चुका है कि वादीया ने खसरा न0 484/440 जो वर्तमान में प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह वादीया के कब्जा काश्त की भूमि हो ना ही ऐसा कोई साक्ष्य सबुत पेश किया गया जिससे वादीया खसरा न0 484/440 की भूमि पर काबिज हो और गलत तौर से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज की गई हो वर्तमान में वादीया एव प्रतिवादीगण दोनो की बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है किसी भी खातेदार काश्तकार को बिना किसी ठोस आधार के किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है अर्थात वादीया प्रतिवादीगण जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है को पाबन्द करवाने की अधिकारी नही है।

तनकी न0 4 वादीया के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 5 क्या प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विधिक प्रावधानों की पालनानुसार नही पेश किया गया जो विधिनुसार वर्जीत है और इसी आधार पर काबिल खारीजी के है।?
वादी

वादी का कथन है कि प्रतिवादी के द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम विधिक प्रावधानो के अनुरूप नही है जो विधिनुसार विर्जित है प्रतिवादीगण के द्वारा जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया हैं काउन्टर क्लेम एक प्रकार से वाद ही होता है उसे न्यायालय में वाद की तरह की प्रस्तुत किया जाना चाहिये था अर्थात काउन्टर क्लेम की दो प्रतिया प्रस्तुत की जानी चाहिये थी प्रतिवादीगण के अधिवक्ता का दायित्व था की वह जबाब दावा मय काउन्टर क्लेम को वाद के तरह ही न्यायालय में पेश करता प्रतिवादी ने वाद मे काउन्टर क्लेम को जबाब दावा के अनुसार पेश कर दिया जा न्यायाचित नही है यहॉ यह उल्लेखनिय है कि काउन्टर क्लेम को विधि अनुसार पेश नही करने से प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर नही दिया जाना न्यायोचित नही है।

अतः तनकी न0 5 वादीया के पक्ष में आशिक तोर से स्वीकार की जाती है।

तनकी न0 6 क्या वाद भूमि पैतृक कृषि है और उसमें प्रतिवादीगण न0 1 से 6 उनके पिता किशना के जीवनकाल में बहिब प्रत्येक 1/7 हिस्सा के हक स्सिा था।?

प्रतिवादी

तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादी का कथन है कि वाद भूमि पैतृक है प्रतिवादीगण का अपने पिता किसनाराम के साथ बराबर का हक हिस्सा था पत्रावली में उपलब्ध कुर्सीनामा में दर्ज भूमि अनुसार वाद भूमि पूर्व में किसनाराम के पूर्वज हीरा के नाम से दर्ज थी अर्थात पूर्व में वाद भूमि उसके पूर्वज काश्त करते थे जिसके देहान्त होने पर विरासतन से वाद भूमि किसनाराम को प्राप्त होनी पाई जाती है जो प्रस्तुत कुर्सीनामा एव जमाबन्दीयो से [illegible]

अतः तनकी न0 6 प्रतिवादी के पक्ष [illegible] जाती है।

तनकी न0 7 क्या किशना [illegible] कारण अपने हक व हिस्सा की भूमि से अधिक भूमि के करवाये गये बेनामे दिनांक 26.11.1959 व दिनांक 26.7.2004 जो वादीया व प्रतिवादी संख्या 7 के हक में है जो शून्य है। प्रतिवादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त अधिकारी
जोहर

इस तनकी को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण का कथन है कि वाद भूमि जो पैतृक भूमि है जिसमें प्रतिवादीगण के पिता किसनाराम के साथ प्रतिवादीगण का बराबर का हक हिस्सा था किसनाराम ने अपने हक हिस्सा से अधिक भूमि का बेचान करने के कारण प्रतिवादीगण के हकों के मुकाबले शुन्य घोषित किया जावे

प्रतिवादीगण का कथन पैतृक भूमि होने तक स्वीकार है किन्तु किसनाराम के साथ प्रत्येक प्रतिवादीगण को बराबर का हक हिस्सा होना स्वीकार नही है

किसनाराम ने वाद भूमि दिनांक 26.11.1959 को वादीया को बेचान की गई थी किसानाराम के द्वारा भूमि बेचान करने के समय किसनाराम के कितने वारिस थे अर्थात ऐसे कितने वारिस थे जो बैयनामा के समय पैदा /मौजुद थे स्पष्ट नही है

किसनाराम की पैतृक सम्पति में वही वारिस हक अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है जो बेयनामा दिनांक 26.11.1959 से पूर्व पैदा हो चुका था बेयनामा के बाद किसनाराम के पैदा हुई सन्तान का उक्त भूमि में विरासतन से कोई हक अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नही है

प्रतिवादीगण ने यह स्पष्ट अंकित नही किया की किसान्नाराम के द्वारा वादीया को बेयनामा दिनांक 26.11.1959 करवाने के समय कितने वारिस मौजुद थे प्रतिवादीगण ने वारिसान के सम्बध में केवल आधार कार्ड की प्रति पेश की गई है जो पर्याप्त नही है मात्र आधार कार्ड के आधार पर पंजीबद्व बेयनामा को शुन्य किया जाना न्यायोचित नही है

प्रतिवदीगण यदि अपने पिता किसनाराम के द्वारा बैचान की गई भूमि के सम्बध में कोई हक अधिकार चाहते है तो उन्हे साबित करना चाहिये था कि किसनाराम के बैयनामा करवाने के समय इतने वारिस मौजुद थे और इतनी भूमि पाने के अधिकारी थे इतनी भूमि हक से अधिक का बेचान किया गया है किसी प्रतिवादीगण ने अपने काउन्टर क्लेम एव लिखित बहस में मात्र. प्रतिवादीगण का हक हिस्सा होना अंकित कर बेयनामा शुन्य करवाने का कथन किया गया है जो पर्याप्त नही है ना ही प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य करवाये गये है।

प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत किया गया काउन्टर क्लेम पैतृक सम्पति की हद तक तो स्वीकार किया जा सकता है किन्तु बेयनामा किस हद तक शुन्य किया जाना है या करवाने के अधिकारी है स्पष्ट नही होने के कारण स्वीकार योग्य नही है।

तनकी न0 7 साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

<u>तनकी न0 8 क्या अमलायें माल द्वारा भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बनाये गये नये खसरा नम्बर 440 के नये बटा नम्बर डाल कर जमाबन्दी व नक्शा में तरमीम किया गया है वह नियमानुसार है।</u> ?

प्रतिवादी

तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण के पर था रोही मौजा ढण्ढेला के खसरा न0 440 के नये बटा नम्बर से सम्बधित है जिसके सम्बध में ना तो वादीया ने कोई साक्ष्य पेश किया की बटा नम्बर गलत है ना ही प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे बटा नम्बर पर किसी प्रकार का प्रश्न उठाया जा सके किन्तु यहॉ यह उल्लेखनिय है कि पुराने खसरों से नये खसरो में परिर्वतन मौका निरीक्षण उपरान्त मौका परिस्थिति के अनुसार किया जा जाता है यदि किसी काश्तकार को ऐतराज होता है तो वह मौका पर ही अपनी बात कह कर निराकरण कर सकता है पैमुद होने पर किसी प्रकार का ऐतराज नही किया जाना न्यायोचित नही है

तनकी न0 8 आंशिक तोर से [illegible] जाती है

तनकी न. 9 क्या प्रतिवादीगण जरीये अपने [illegible] क्लेम के अनुतोष की मद न0 क, ख, ग, के अनुसार घोषणा करवा[illegible]कारी है ।?

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी

इस तनकी को साबित करने का भार प्र[illegible]वादी पर था काउन्टर क्लेम के अनुतोष के सम्बध में उपरोक्त तनकीयात में विवेचन किया जा चुका है प्रथम तो प्रतिवादी ने काउन्टर

क्लेम विधिक प्रक्रिया के अनुसार पेश नही किया दुसरा अपने अनुतोष में स्पष्ट अंकित नही किया की किसनाराम के बेयनामा के समय कितने वारिस मौजुद थी और कितनी भूमि पाने के अधिकारी थे मात्र आधार कार्ड के आधार पर अनुतोष चाहा गया है जो उचित नही है तनकी न0 9 पूर्व तनकीयात के परिपेक्ष्य/विवेचन के अधार पर अस्वीकार प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकीवार विवेचन से साबित हो चुका है कि वादीया ने किसानाराम से जरिये बैयनामा दिनांक 26.11.1959 को भूमि खरीद की गई थी जो सही तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है खसरा न0 440 को बटा नम्बर में परिर्वतन किया गया था के सम्बध में वादीया ने कोई साक्ष्य पेश नही किया जिससे उसके कब्जा काश्त की भूमि प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई हो मात्र कथन किया गया है तथा मुश्तरका खाते की भूमि का बैयनामा करवाया गया है वह भी विशेष भू भाग का करवाया गया है मुश्तरका खाते की भूमि में विशेष हिस्से के बैयनामा के आधार पर विशेष भू भाग वादीया प्राप्त करने की अधिकारी नही है अतः वादीया का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम की किसानाराम के नाम दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है तत्समय वाद भूमि किसनाराम के नाम दर्ज थी जो उसके पूर्वजों से प्राप्त हुई थी स्वय किसानाराम की नातोड़ करदा नही पाये जाने के कारण पैतृक सम्पति की हद तक स्वीकार योग्य है किन्तु प्रतिवादीगण का कथन है कि किसानाराम ने अपने हक से ज्यादा भूमि का बेचान किया गया है किन्तु प्रतिवादीगण ने यह व्यक्त नही किया गया की बेयनामा के समय किसनाराम के कितनी सन्तान मौजुद थी और उनका वाद भूमि में कितना हिस्सा बनता था मात्र अपने कथनों के समर्थन में आधार कार्ड पेश किया गया है जो काउन्टर क्लेम को साबित करने के लिये पर्याप्त नही है प्रतिवादी ने पूर्ण बेयनामा शुन्य करवाने का अनुतोष चाहा है प्रतिवादी का दायित्व था कि वह अपने काउन्टर क्लेम में यह अंकित करता की किसानाराम के बैयनामा दिनांक 26.11.1959 के सयम कितने वारिस मौजुद थे और उनका वाद भूमि में कितना हिस्सा बनता था तथा किसानाराम कितनी भूमि पाने या बेय करने का अधिकार रखता था और बैयनामा दिनांक 26.11.1959 को इतने वारिसान के हक हिस्से तक शुन्य किया जावे बेयनामा के बाद पैदा हुई सन्तान कोई हक हिस्सा प्राप्त करने की अधिकारी नही हो सकती है ना ही ऐसा कोई साक्ष्य पेश किया जिससे बैयनामा के वाद पैदा हुई सन्तान भी हक प्राप्त करने की अधिकारी है अतः प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अस्पष्ट साक्ष्य सबुतों के अभाव में स्वीकार योग्य नही है।

तनकीयात के विवचेन अनुसार वादी का वाद एव प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम दोनो ही साक्ष्य सबुतों के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वाद वादीया साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अस्पष्ट व साक्ष्य सबुतों के आभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 20/08/2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

(आडॅर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. रामी पत्नी मनसुख (फोत)
2. अमरसिह पुत्र मनसुख जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर
3. विधा पुत्री मनसुख जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. सन्तो पुत्री मनसुख जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर

वादीगण

बनाम

1. रामस्वरूप पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
2. बृजलाल पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
3. हसंराज पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
4. सुरजीत पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
5. महेन्द्र पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
6. रामसिह पुत्र किशना जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
7. कमला पत्नी अमरसिह जाति जाट निवासी ढण्ढेला तहसील नोहर।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 541 सन 2018 निर्णय दिनांक– 20/08/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीया एव अधिवक्ता प्रतिवादीगण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम अस्पष्ट व साक्ष्य सबुतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/08/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.09.05 13:29:39 IST
Reason: SelfAttested